



**कार्यालय :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- apccfdevjhk@jharkhandmail.gov.in Phone & Fax No. 0651-2481813



पत्रांक : 01 / यो०बजट-26 / 2017-1563 दिनांक : 27.11.2017

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
सामाजिक वानिकी प्रमंडल, लातेहार ।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2023-24 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत भू-संरक्षण एवं वृक्षारोपण हेतु कुल रु 81.007/- (एकासी लाख सात सौ रुपये) मात्र अतिरिक्त राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment) ।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4 / यो०ब०-31 / 2017-21 / स्वी० व०प० राँची दिनांक 09.08.2017, विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04 / यो०बजट-31 / 2017- 58 / आ० व०प० दिनांक 09.08.2017, इस कार्यालय का पत्रांक-1415 दिनांक-02.11.2017 एवं क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू मेदिनीनगर का पत्रांक-3380 दिनांक-16.11.2017 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के द्वारा पूर्व में आवंटित राशि के अतिरिक्त भू-संरक्षण एवं वृक्षारोपण के लिए 81.007/- (एकासी लाख सात सौ रुपये) का उप-आवंटन की जा रही है ।

2. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुलग्नक-1 पर, कार्यदर अनुलग्नक-2 एवं स्थल विवरणी अनुलग्नक-3 पर तथा ऑन-लाईन उप-आवंटन की प्रति अनुलग्नक-4 के रूप में संलग्न है ।

3. पूर्व उप-आवंटित राशि के यह अतिरिक्त उप-आवंटन है । पूर्व उप-आवंटन के सभी शीर्ष एवं शर्त यथावत रहेंगे ।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची ।

ज्ञापांक— 01 / योबजट—26 / 2017—1563 दिनांक— 27.11.2017

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर, पलामू एवं हजारीबाग / एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :— यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
ज्ञारखण्ड, राँची

ज्ञापांक— 01 / योबजट—26 / 2017—1563 दिनांक— 27.11.2017

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, लातेहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अनुलग्नक :— यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
ज्ञारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं
भू-संरक्षण” योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अन्तर्गत भू-संरक्षण एवं वृक्षारोपण का
अग्रिम कार्य का प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

राशि (रु० लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय / प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हेक्टर)	वित्तीय वर्ष 2017-18		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			46669.70	26973.14	73642.84
i	ii	iii	vii	viii	ix
1	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, लातेहार	110.00	51.337	29.670	81.007
योग :-		110.00	51.337	29.670	81.007



अपर प्रधान सुख्य वन संस्थक, विकास,
झारखण्ड, राँची।


वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम— भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना वन भूमि अंतर्गत वृक्षारोपण

पौधों की संख्या प्रति हेक्टेक्टर : 1666

पौधों की दूरी : (3 मीटर X 2 मीटर)

क्र०	अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० मे०)	सामग्री (रु० मे०)	कुल व्यय (रु० मे०)	अभियुक्ति
1	2	3	4	6	5	7	8
(A) वित्तीय वर्ष 2017-18 में अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : ₹० 229.90							
1	सर्वक्षण एवं सीमांकन	हेक्टेक्टर	3.00	689.70	0.00	689.70	
2	सामान्य ज्ञाड़ी	हेक्टेक्टर	7.00	1609.30	0.00	1609.30	
3	मशीन द्वारा ट्रैच खुदाई ड्रेसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुसूचित दर सूची दिनांक-01.04.2014 से लागू का आईटम सं0 7.1.43.1 से 9.1 प्रतिशत संवेदक लाभ घटाकर दर)	6 घेन पति हेक्टेक्टर	12	2758.80	11782.74	14541.54	यदि पूर्व में वृक्षारोपण के कारण ट्रैच खोदी गयी हैं तो ट्रैच भरने के कारण जितने मात्रा में खोदी जानी है उसी अनुपात में मानव दिवस समायोजित होंगे। मजदूरों से कार्य कराने के प्रावधान करने के समय वन संरक्षक का यह दायित्व होगा कि मशीन का कदापि प्रयोग न हों।
4	मृदा कार्य (0.3 मी. x 0.3 मी. x 0.3 मी.) 1666 पिट प्रति हेक्टेक्टर (संरेखन एवं मृदा प्रोफाईल पिट सहित)	हेक्टेक्टर	36.50	8391.35	0.00	8391.35	
5	अंश पौधशाला कार्य रात्रि प्रहरी सहित (20% अतिरिक्त के साथ)	हेक्टेक्टर	16.50	3793.35	0.00	3793.35	
6	सामग्री (पॉलिथीथ थैली, बीज, उर्वरक, खाद, रसायन, पौधशाला तथा धेरान सामग्री आदि)			0.00	0.00	2240.00	2240.00
7	मृदा एवं जल संरक्षण कार्य: कंटूर ट्रैचिंग— 120, कंटूर ट्रैच साईज 5 मीटर X 0.30 X 0.3 मीटर का खोदा जाना जिसके बीच की दूरी 2मीटर से 3मीटर हो तथा इसकी मिट्टी का नीचे ढाल पर 0.15 मीटर हट कर 0.30 मीटर की चौड़ाई में 0.15 मीटर गहरा कोडनी कर रखा जाना	हेक्टेक्टर	55.00	12644.50	0.00	12644.50	
8	सिल्ट डिटेन्शन डैम, चेक डैम, रिटेनिंग एवं ब्रेस्ट वाल, टो वाल, स्पर एवं टॉरेण्ट नियंत्रण कार्य आदि	हेक्टेक्टर	25.00	5747.50	0.00	5747.50	
9	गली प्लगिंग	हेक्टेक्टर	10.00	2299.00	0.00	2299.00	
10	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)			0.00	0.00	150.00	150.00
11	प्रवेश बिन्दु कार्य			38.00	8736.20	12800.40	21536.60
योग :-			203.00	46669.70	26973.14	73642.84	



अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
जारक्षण, राँची

वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वयन की जानेवाली “अधिसूचित बनभूमि पर वृक्षारोपण” योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अन्तर्गत भू-संरक्षण एवं वृक्षारोपण का अधिसम्बन्धीय कार्य का स्थल विवरणी।

क्र० सं	जिला का नाम	प्रमंडल का नाम	बन प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड का नाम	थाना / थाना नं०	स्थल/ग्राम का नाम	प्लॉट संख्या	रकवा हे० में
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix
1	लातेहार	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, लातेहार	सामाजिक वानिकी बालमाथ	बरियातू	बालमाथ-29	करमा	415, 466, 386, 392, 400, 404, 436, 475	60
				बरियातू	बालमाथ-54	चेडरा	698, 648, 638, 634, 635	50
योग:-								110

आपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास झारखण्ड, राँची।



आवंटन आदेश

झारखण्ड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-26/2017/1563

दिनांक -

27-Nov-2

क्रमांक	दिपत्र कोड	एक्सेस नं.	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601796580103	75601	LTRFOR004 ARVIND KUMAR GUPTA रुपये इकावन लाख तैतीस हजार सात सौ D.F.O. SFD LATEHAR	5,133,700.00
	2406 - वानिकी तथा बन्ध प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भने 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			
2	S 19 240601796580323	75602	LTRFOR004 ARVIND KUMAR GUPTA रुपये उन्तीस लाख सङ्करण हजार D.F.O. SFD LATEHAR	2,967,000.00
	2406 - वानिकी तथा बन्ध प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			
				8,100,700.00

योग:

क्रमिक योग:

रुपये इक्कहासी लाख सात सौ

(SHRI SATNAM SINGH)
S.A.D.I.P.O. P.D.W.A.N.A.R.HAND